छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
---0---
–:: आदेश ::–

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/10/2024

क्रमांक 1530/881/2022/स्था./चारः श्री सतीश पाटिले, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग द्वारा मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर **याचिका क्र. 652/2024** में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 में दिये गये निर्देश के प्रभावशीलता के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग से छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक **दिनांक 23.12.2022** का पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.07.2024 आहूत की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरीक्षित बैठक दिनांक 30.07.2024 में समिति द्वारा श्री कीर्तनलाल करहाडे एवं श्रीमती एस.के.ठाकुर, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग को छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है।

2/ अतएव, राज्य शासन एतत्द्वारा श्री कीर्तनलाल करहाडे एवं श्रीमती एस.के.ठाकुर, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग को विभागीय आदेश क्र. 377/881/2022/स्था./चार, दिनांक 17.03.2023 द्वारा पदोन्नत कनिष्ठ अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, **श्री विलास कुमार झाड़े के** नीचे कमशः **श्री कीर्तनलाल करहाडे एवं श्रीमती एस.के.ठाकुर** की वरिष्ठता निर्धारित करते हुए, तत्समय स्वीकृत वेतनमान अनुसार **"कार्य नहीं वेतन नहीं No Work No Pay"** के सिद्धांत पर छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के पद पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (15600–39100 ग्रेड वेतन 5400) लेवल–12 में काल्पनिक पदोन्नति (Proforma Promotion) प्रदान करते हुए श्रीमती एस. के. ठाकुर, को वित्त अधिकारी, रायगढ़ विश्वविद्यालय रायगढ़ (वरिष्ठ पद के विरूद्ध) पदस्थ करता है।

3/ यह पदोन्नति **"कार्य नहीं वेतन नहीं No Work No Pay"** के सिद्धांत पर होगी। पदोन्नत छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग को वेतन वृद्धि एवं अन्य प्रयोजन हेतु मान्य की जाएगी, किन्तु जितनी अवधि में उस पद का वास्तविक रूप से कार्य नहीं किया गया है, उस अवधि का वेतन अवशेष प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। वास्तविक लाभ पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा।

4/ विभागीय समिति की संपन्न बैठक दिनांक 23.12.2022 के कार्यवाही विवरण में की गई अनुशंसा के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्र. 377/881/2022/स्था./चार, दिनांक 17.03.2023 के सरल क्र. 1 श्री रूद्रेश कुमार मिश्रा एवं सरल क्र. 2 श्रीमती अनामिका मिश्रा, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा से छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग में पदोन्नत किया गया था। उक्त बैठक दिनांक 23.12.2022 का पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.07.2024 की कार्यवाही विवरण के कंडिका 18 के सरल क्र. 5 श्री रूद्रेश कुमार मिश्रा एवं सरल क्र. 6 श्रीमती अनामिका मिश्रा के संबंध में **"पदोन्नत होने से विचार नहीं" समिति द्वारा अनुशंसा की गई है, फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 17.03.2023 के सरल क्र. 1 श्री रूद्रेश कुमार मिश्रा एवं सरल क्र. 2 श्रीमती अनामिका मिश्रा का छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग में की गई पदोन्नति को निरस्त करता है ।**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. ए.के.सिंह)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

निरंतर.......2

SAS Later(s)

पृष्ठां. क्र.1561/881/2022/स्था./चार, **नवा रायपुर, दिनांक30 /10/2024**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
2. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/परिवहन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
3. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
4. संचालक, संचालनालय, कोष एवं लेखा, नवा रायपुर, अटल नगर।
5. परिवहन आयुक्त, कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
6. आयुक्त, रायपुर संभाग, छत्तीसगढ़
7. सचिव, लोक सेवा आयोग नवा रायपुर अटल नगर को उनके पत्र क्र 2445/136/2022/जी.एस., दिनांक 06 अगस्त 2024 के संदर्भ में ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
9. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, मान. उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, याचिका क्र. 652/2024 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के तारतम्य में ।
10. कलेक्टर, रायपुर/रायगढ़।
11. जिला कोषालय अधिकारी, रायगढ़/रायपुर छत्तीसगढ़
12. संबंधित अधिकारी. ....
13. आदेश फोल्डर हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

30/10/2024

अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

SAS Later(s)